अभिकर्ता (एजेंट) की नियुक्ति: पंच और सरपंच चुनाव

पंचायत आम चुनाव 2026, मतपेटी वाला मतदान · मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी (PO) और रिटर्निंग अधिकारी के लिए · MockPoll.com: अनौपचारिक प्रशिक्षण सामग्री, आयोग का प्रकाशन नहीं।

स्रोत: आयोग का आदेश एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/9413, दिनांक 25.09.2026 (निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति), और मतपेटी मार्गदर्शिका, पंचायत आम चुनाव 2026। प्ररूप–9 और प्रतिसंहरण फ़ॉर्म आदेश से हैं (इस PDF के पृ. 3–4), प्ररूप–10 मार्गदर्शिका से (पृ. 5)। आदेश का पृ. 3 और मार्गदर्शिका के पन्ने पृ. 6–12 पर, जैसे छपे हैं।

इस PDF में

1. पंच और सरपंच: किसके कौन-से अभिकर्ता 1
2. मतदान के दिन बूथ पर: मतदान अधिकारी (PO) क्या जाँचे 2
3. गिनती के दिन: गणन अभिकर्ता 2
4. प्ररूप–9: मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति [आदेश 9413, पृ. 5] 3
5. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण फ़ॉर्म [आदेश 9413, पृ. 6] 4
6. प्ररूप–10: गणन अभिकर्ता की नियुक्ति [मार्गदर्शिका पृ. 114] 5
7. आदेश 9413, पृ. 3 (पंच और सरपंच वाला नोट) 6
8. मार्गदर्शिका पृ. 3–4, 17, 38, 72, 76 (जैसे छपे हैं) 7–12

1. पंच और सरपंच: किसके कौन-से अभिकर्ता

अभिकर्ता	वार्ड पंच का उम्मीदवार	सरपंच का उम्मीदवार
निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent)	नहीं [मार्गदर्शिका पृ. 3–4, बिन्दु 9]	नहीं: "सरपंच पद के लिए कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता नहीं होगा।" [आदेश 9413, पृ. 3, नोट 2] प्ररूप–8 सिर्फ़ पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य के उम्मीदवार के लिए है। [नियम 68(1), मार्गदर्शिका पृ. 75]
मतदान अभिकर्ता (Polling Agent) प्ररूप–9	नहीं: "स्वयं अभ्यर्थी ही मतदान अभिकर्त्ता का कार्य कर सकेगा।" [आदेश 9413, पृ. 3, नोट 1]	हर मतदान बूथ पर एक, प्ररूप–9 में दो प्रतियों में, उम्मीदवार के हस्ताक्षर से [नियम 69(1), मार्गदर्शिका पृ. 76] (सरपंच का निर्वाचन अभिकर्ता होता ही नहीं, इसलिए हस्ताक्षर उम्मीदवार के)। हर ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में दी जाएगी। [नियम 56(2), मार्गदर्शिका पृ. 72]
गणन अभिकर्ता (Counting Agent) प्ररूप–10	नहीं [मार्गदर्शिका पृ. 3–4, बिन्दु 9]; गिनती में पंच का उम्मीदवार खुद बैठ सकता है [मार्गदर्शिका पृ. 38]	दो। जिन पंचायत सर्किलों में 20 या ज़्यादा वार्ड हैं, वहाँ ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ज़रूरत के हिसाब से दो से ज़्यादा की अनुमति दे सकते हैं। [मार्गदर्शिका पृ. 38, (iii)] नियुक्ति प्ररूप–10 में, दो प्रतियों में। [नियम 70(1), मार्गदर्शिका पृ. 76]

मार्गदर्शिका में वार्ड पंच के लिए इसकी वजह: "क्योंकि वार्ड पंच के चुनाव में उम्मीदवार स्वयं ही हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ होता है।" [मार्गदर्शिका पृ. 3–4, बिन्दु 9]

- **कौन मतदान अभिकर्ता बन सकता है:** पंचायत क्षेत्र का कोई भी मतदाता। उसके पास फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग का बताया कोई और दस्तावेज़ होना चाहिए। [आदेश 9413, पृ. 2]
- **कौन नहीं बन सकता** (आदेश में यह सूची "मतदान अभिकर्त्ता और वैकल्पिक मतदान अभिकर्त्ता" दोनों के लिए है): केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यकारी मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य; स्थानीय निकायों के कार्यकारी निर्वाचित सदस्य; सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी निकायों और निगमों के अध्यक्ष और सदस्य; सरकार से मानदेय पाने वाले या सरकारी (या सरकारी सहायता वाले) संस्थान में पार्ट-टाइम काम करने वाले; ऐसे संस्थानों के पैरा-मेडिकल और हेल्थकेयर कर्मचारी; उचित मूल्य की दुकान के डीलर; आंगनवाड़ी कर्मचारी; और सरकारी सेवा में लगे लोग। सुरक्षा कवर वाला कोई व्यक्ति मतदान अभिकर्ता बनने के लिए अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकता। [आदेश 9413, पृ. 2]
- **सरकारी कर्मचारी अभिकर्ता बने तो:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134–क में तीन महीने तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों। [आदेश 9413, पृ. 2; मार्गदर्शिका पृ. 50]
- **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करना:** मतदान शुरू होने से पहले किसी भी समय, उम्मीदवार के हस्ताक्षर वाली लिखित घोषणा से [नियम 71(1), मार्गदर्शिका पृ. 76] (फ़ॉर्म: इस PDF का पृ. 4, उसमें "*सरपंच, ग्राम पंचायत" की पंक्ति है)। आदेश 9413: घोषणा की प्रति उस मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी के पास दी जाएगी जहाँ वह मतदान अभिकर्ता नियुक्त था, और साथ में नए मतदान अभिकर्ता का प्ररूप–9 भी। [आदेश 9413, पृ. 3]

2. मतदान के दिन बूथ पर: मतदान अधिकारी (PO) क्या जाँचें

1. बूथ में बैठ सिर्फ़ ये सकते हैं: पंच पद का उम्मीदवार, और सरपंच पद का उम्मीदवार या उसका नियुक्त मतदान अभिकर्ता। [मार्गदर्शिका पृ. 17, बिन्दु 4] नियम 24–क में बताए लोगों के अलावा किसी को भी बूथ से बाहर करें। [मार्गदर्शिका पृ. 9, 5(xi)]
2. सरपंच के मतदान अभिकर्ता से प्ररूप–9 लें। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, रिटर्निंग अधिकारी से मिले नमूना हस्ताक्षर से मिलाएँ। [आदेश 9413, पृ. 2]
3. प्ररूप–9 में छपी घोषणा पर वह आपके सामने हस्ताक्षर करेगा; उससे पहले उसे बूथ पर कोई भी काम न करने दें। [नियम 69(2), मार्गदर्शिका पृ. 76] आपको सौंपी गई प्रति आप अपनी अभिरक्षा में रखें [आदेश 9413, पृ. 1]; मार्गदर्शिका के नियम 69(2) में "दोनों प्रतियों" लिखा है [मार्गदर्शिका पृ. 76]। (फ़ॉर्म पर छपा है: "मतदान अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।" [मार्गदर्शिका पृ. 113])
4. बूथ के अंदर वह अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अपने पास रखेगा और दिखाएगा। [आदेश 9413, पृ. 2]
5. मतपेटी: मतदान शुरू होने से लगभग 15 मिनट पहले, उपस्थित उम्मीदवारों के सामने पेटी खाली दिखाकर तैयार करें। कागज़ी सील पर आप पूरे हस्ताक्षर करें; उपस्थित उम्मीदवार या अभिकर्ता जो चाहें, वे भी हस्ताक्षर करें। कोई न आए या हस्ताक्षर से मना करे, तब भी पेटी समय पर तैयार करें। [मार्गदर्शिका पृ. 18, बिन्दु 9]
6. पहला सहायक मतदान अधिकारी हर प्रविष्टि ज़ोर से पढ़ेगा। मतदाता की पहचान पर एतराज़ उम्मीदवार या अभिकर्ता उसी समय, पहले सहायक मतदान अधिकारी के पास ही उठा सकते हैं, बाद में नहीं। [मार्गदर्शिका पृ. 9, 6(1)(iv)]
7. कोई उम्मीदवार या अभिकर्ता मतपत्र का नंबर नोट नहीं कर सकता। [मार्गदर्शिका पृ. 18, बिन्दु 7; नियम 39(3)]
8. मतदान के बाद: पंच-सरपंच की मतपेटी की गिनती उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होती है, इसलिए इस पर टेप या डोरी बाँधने और इसे थैले में बंद करने की ज़रूरत नहीं। पंचायत समिति / ज़िला परिषद वाली पेटी पर उनके उम्मीदवार या मतदान अभिकर्ता चाहें तो अपनी सील और हस्ताक्षर लगा सकते हैं। [मार्गदर्शिका पृ. 21, बिन्दु 23]
9. मतदान अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता की नियुक्ति में काम आए फ़ॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के लिफ़ाफ़े P–1 (सील नहीं होगा) में जाते हैं। [मार्गदर्शिका पृ. 39, बिन्दु 23(1)(b)]

3. गिनती के दिन: गणन अभिकर्ता

1. पंच और सरपंच के वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होती है। [मार्गदर्शिका पृ. 21, बिन्दु 23] गिनती में स्टाफ़ के अलावा पंच और सरपंच के उम्मीदवार और सरपंच के दो गणन अभिकर्ता बैठ सकते हैं (20 या ज़्यादा वार्ड वाले सर्किल में ज़िला निर्वाचन अधिकारी ज़्यादा की अनुमति दे सकते हैं)। [मार्गदर्शिका पृ. 38, (iii)]
2. गिनती की जगह और समय की सूचना सभी उम्मीदवारों को दें। [मार्गदर्शिका पृ. 38, (iv)]
3. गणन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 में अधिकृत अधिकारी) को देगा और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा; तब तक उसे गिनती की जगह पर गणन अभिकर्ता का काम करने की अनुमति नहीं। [नियम 70(3), मार्गदर्शिका पृ. 76]

प्ररूप–10 पर ध्यान दें: मार्गदर्शिका में छपे प्ररूप–10 (इस PDF का पृ. 5) में ऊपर चुनाव की पंक्तियाँ सिर्फ़ पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य की हैं, सरपंच की पंक्ति नहीं है [मार्गदर्शिका पृ. 114]; नियम 70(1) सरपंच के उम्मीदवार को गणन अभिकर्ता प्ररूप–10 में ही नियुक्त करने को कहता है [मार्गदर्शिका पृ. 76]। प्ररूप–9 में "*सरपंच, ग्राम पंचायत" की पंक्ति छपी है। [आदेश 9413, पृ. 5; मार्गदर्शिका पृ. 113]

पृष्ठ संख्या: मार्गदर्शिका = मतपेटी मार्गदर्शिका, पंचायत आम चुनाव 2026 (छपे हुए पृष्ठ)। [] में स्रोत। मार्गदर्शिका के नियम 70(1) में गणन अभिकर्ताओं की संख्या के शब्द जैसे छपे हैं, वैसे इस PDF के पृ. 12 पर हैं; यहाँ संख्या पृ. 38 से ली है। आगे के पृष्ठ (3–12) आदेश 9413 और मार्गदर्शिका के पन्ने हैं, जैसे छपे हैं वैसे ही।

प्ररूप–9

(नियम 69 देखिए)

मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*सरपंच, ग्राम पंचायत

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य

*पंचायत समिति/जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य;

मैं, अभ्यर्थीजो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्त्ता इसके द्वारा (नाम और पता) को स्थान पर मतदान बूथ सं. में उपस्थित होने के लिए मतदान अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान
तारीख

.....
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने को सहमत हूँ।

स्थान
तारीख

.....
मतदान अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्त्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

.....
मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
गणन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण फार्म

प्रेषितः–

पीठासीन अधिकारी,

मतदान केन्द्र सं.....

मतदान केन्द्र का नाम.....

महोदय,

मैं,उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी/उपर्युक्त निर्वाचन के अभ्यर्थी श्री/श्रीमती का निर्वाचन अभिकर्त्ता श्री/श्रीमती मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का इसके द्वारा प्रतिसंहरण करता हूँ।

तारीख

.....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

*सरपंच, ग्राम पंचायत
*निर्वाचन क्षेत्र सं.....से पंचायत समिति के सदस्य
*पंचायत समिति/जिला परिषद.....की निर्वाचन क्षेत्र सं..... से जिला परिषद के सदस्य

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

परिशिष्ट–17

प्ररूप–10

(नियम 70 देखिए)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य,

*पंचायत समिति/जिला परिषदकी निर्वाचन क्षेत्र संख्या से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

मैं, अभ्यर्थी

जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता

को इसके द्वारा

(नाम और पता)

मतगणना के लिए नियत स्थान पर गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ।

स्थान

तारीख अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान

तारीख गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किये जाने के लिए गणन अभिकर्ता की घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कृत्य नहीं करूंगा।

.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

4. मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरणः–

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्त्ता मतदान शुरू होने से पूर्व किसी भी समय अपने हस्ताक्षर वाले नियुक्ति प्रतिसंहरण लिखित घोषणा पत्र(प्रतिसंलग्न) के द्वारा मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्रतिसंहरण घोषणा पत्र की प्रति उस मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी के पास प्रस्तुत की जायेगी, जहां मतदान अभिकर्त्ता को नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही नये मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति पत्र (प्ररूप–9) भी प्रस्तुत किया जायेगा।

5. मशीनों और चुनाव कागजों को सील करनाः–

- ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा उनसे संबंधित कैरिइंग केस में रखकर ईवीएम को सील किया जाता है। मतदान अभिकर्त्ता को केस पर हस्ताक्षर करने और सील लगाने की अनुमति होती है।

नोटः– 1. पंच पद के लिए कोई मतदान अभिकर्त्ता नहीं होगा। स्वयं अभ्यर्थी ही मतदान अभिकर्त्ता का कार्य कर सकेगा।

2. सरपंच पद के लिए कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता नहीं होगा।

उक्तानुसार पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/9414–17 दिनांक : 25.09.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव

MockPoll.com | page 6 of 12 | [SEC order 9413 dt 25.09.2026, p3: note on panch, sarpanch]

बनाने, मतदान की व्यवस्था की देख रेख करने, मतगणना कराने एवं उनका परिणाम घोषित करने का कार्य करेगा, साथ ही उपसरपंच पद का चुनाव भी सम्पन्न करवायेंगा। उक्त रिटर्निंग अधिकारी अपने पंचायत क्षेत्र में नियुक्त किये गये मतदान दलों को मतदान सामग्री जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त कर उपलब्ध करायेगा। यदि एक ही मतदान दल द्वारा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य का चुनाव अलग दिवस को एवं पंच, सरपंच का चुनाव अलग दिवस को कराया जायेगा, तो ऐसी स्थिति में पंच/सरंपच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त कायों के अलावा जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए भी मतदान कार्य का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

6. **मतदान दल में अधिकारी**:– विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनाव में जो कार्य पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी करते हैं, वहीं कार्य पंचायत मुख्यालय पर स्थापित प्रत्येक मतदान बूथ पर क्रमशः मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी करेंगे। पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के रूप में संबंधित मतदान बूथ पर कार्य करेगा। मतदान अधिकारी की शक्तियां व कर्त्तव्य नियम 24–क में बताये गये हैं।
7. **मतदान बूथ**:– विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतदान दल प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु पंचायत चुनाव में मतदान दल प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त किया जायेंगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक ही मतदान केन्द्र होता है जो सामान्यतः पंचायत मुख्यालय से बाहर नहीं होता। एक मतदान केन्द्र को एक से अधिक मतदान बूथों में विभाजित किया जाता है। पंच/सरपंच चुनाव में एक वार्ड को एक से अधिक बूथों में नहीं तोड़ा जायेंगा । प्रत्येक मतदान बूथ पर कुछ पूरे–पूरे वार्डों के मतदाता मतदान करेंगे। मतदान केन्द्र/मतदान बूथ की सूची आपको चुनाव सामग्री के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त होगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियम 30(3) के अन्तर्गत नोटिस तैयार कर प्रकाशित किया जायेंगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रदान की गई मतदान केन्द्र के लिए पूर्व निर्धारित भवनों के नाम की सूचना पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायेगा। यदि पंचायत कार्यालय उपलब्ध नहीं है तो यह सूचना मतदान केन्द्र के भवन पर चस्पा करायी जायेगी।

 पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान बूथों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया जायेंगा जिसके नोटिस का प्ररूप आपको चुनाव सामग्री के साथ प्राप्त होगा उसे भी मतदान अधिकारी अपने बूथ पर यथास्थान प्रकाशित करने की व्यवस्था करावें।
8. **मतगणना**:– पंचायत चुनावों में पंच एवं सरपंच के लिए मतगणना पंचायत मुख्यालय पर मतदान केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की जायेगी। किन्तु पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचनों में मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् मतपेटियां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर पहुॅचाने की व्यवस्था की जायेगी, क्योकि उक्त चुनावों की मतगणना जिला मुख्यालय पर होगी।
9. **निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता**:– जहां विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है वहां केवल पंचायत चुनाव में जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में उम्मीदवार को एक निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार हैं।

 सरपंच पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम दो गणन अभिकर्ता तथा जितने मतदान बूथ हैं उतनी संख्या में मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने के अधिकार हैं परन्तु सरपंच पद के अभ्यर्थी को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। वार्ड पंच के चुनाव के उम्मीदवार को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का

अधिकार नहीं है, क्योंकि वार्ड पंच के चुनाव में उम्मीदवार स्वयं ही हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ होता है।

10. **प्रतिभूति निक्षेप राशि**:– पंच पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का प्रावधान नहीं है। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार को निक्षेप राशि नियम 56(3) के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि 500/– रु. एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवार के लिए 250/– रु. प्रतिभूति निक्षेप राशि जरिये रसीद जमा कराना आवश्यक है। प्रतिभूति निक्षेप राशि लौटाने योग्य है बशर्ते अभ्यर्थी को डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 भाग से अधिक मत प्राप्त हुये हो अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।यदि चुनाव में विजयी उम्मीद्वार के मत कुल वैद्य मतों के 1/6 से कम है तब भी उन्हें प्रतिभूति निक्षेप राशि वापिस की जायेंगी। प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाने एवं राजकोष में जमा कराने की विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप मतगणना के पश्चात् निक्षेप राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रपत्र–1 (परिशिष्ट–32) में आवेदन करना होगा। जब्त तथा अवितरित राशि प्रपत्र–2 (परिशिष्ट–32) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्धारित लिफाफे में एवं काउन्टर पर जमा करानी होगीं।

11. **मतपेटियां**:– प्रत्येक मतदान बूथ पर पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए एक ही मतपेटी में मत डाले जायेंगे, जिसके भरने के बाद दूसरी या तीसरी मतपेटी काम में ली जायेगी। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए भी एक ही मतपेटी रखी जायेगी जिसके भरने के बाद दूसरी या तीसरी मतपेटी उपयोग में ली जायेगी। सभी प्रकार के मतपत्र भिन्न–भिन्न रंग के होंगे। पंच चुनाव के मतपत्र गुलाबी रंग, सरपंच चुनाव के मतपत्र सफेद रंग, पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र नीले रंग और जिला परिषद् सदस्य चुनाव के मतपत्र पीले रंग में होंगे। पंच, सरपंच चुनाव की मतगणना एक साथ होगी, जिसमें मतपत्रों को अलग–अलग रंग से छंटनी किया जाना आसान होगा। इसी प्रकार जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए मतगणना भी साथ–साथ होगी जिनके मतपत्रों को भी अलग–अलग रंग से छंटनी किया जाना आसान होगा।

 नोटः– यह भी निर्देश आपको दिये जा सकते हैं कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा पंच के मतदान हेतु पृथक–पृथक मतपेटी काम में ली जायें। यदि ऐसी स्थिति होगी तो इस विषय में सूचना आपको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

12. **स्वयं उम्मीदवार द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना**:– जहां अन्य चुनावों में उम्मीदवार अपना नामनिर्देशन पत्र अपने प्रस्तावक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकता है वहां पंच एवं सरपंच चुनाव में उम्मीदवारों को अपने नामनिर्देशन पत्र को स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विहित रीति से प्रस्तुत हुआ नहीं मानकर यह खारिज कर दिया जायेंगा। इसी प्रकार प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नाम वापसी का नोटिस भी स्वयं ही उपस्थित होकर देना होगा।

13. **जांच कार्य को स्थगित (adjourn) नहीं करना**:– पंचायत चुनाव में नामनिर्देशन पत्रों की जांच (scrutiny) उसी दिन समाप्त की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर को जांच कार्य दूसरे दिन के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है।

14. **नामांकन प्रक्रिया एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन**:– विधानसभा व अन्य चुनावों की तरह पंच एवं सरपंच के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार जरूर है, पर इसकी प्रक्रिया विधानसभा व अन्य चुनावों से पूर्णतया भिन्न है। पंच एवं सरपंच नामनिर्देशन प्रक्रिया, नाम खारिज एवं नाम वापिसी के पश्चात् शेष बचे अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पृथक्–पृथक प्ररूप–5 (परिशिष्ट 8–A, 8–B) में तैयार की जायेंगी । पंच एवं सरपंच चुनाव

अध्याय–5

मतदान प्रक्रिया एवं मतदान समाप्ति पर की जाने वाली तैयारी

1. **मतपत्र को मोड़नाः–** मत–पत्र ऐसे ढंग से मोड़े जायेंगे ताकि एक अभ्यर्थी के वोट का इम्प्रेशन दूसरे अभ्यर्थी के खाने मे ना आये। पहला मोड़ खड़ा (Vertical) होगा जिससे चुनाव चिन्ह उम्मीदवार के नाम पर आ जायें व मोड़े हुए मतपत्र की चौड़ाई दो इन्च हो जायें। दूसरा मोड आड़ा (Horizontal) होगा। यह इस तरह होगा कि सुभिन्नकारी चिन्ह (पं.रा.स.) आपको बाहर दिखता रहे। मोड़ सीधे होने चाहिए जिससे मतपत्र को मतपेटी के सुराख में आसानी से डाला जा सके। ऐसा करने से मतदाता मतदान कक्ष में मतपत्र उसी तरह मोड़ कर लायेगा जिससे मत की गोपनियता बनी रहेगी ।
2. **मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्थाः–** पंच/सरपंच या जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने की स्थिति में प्रथम तीन सहायक मतदान अधिकारी मतदान बूथ के अन्दर जाने वाले दरवाजें से सटे हुए बैठेंगे और चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी अन्दर दूसरी साइड में मतपेटी के पास बैठेगा। मतदान बूथ के कक्ष के आकार व उसकी स्थिति को देखते हुये मतदान बूथ के अन्दर की व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक है, ताकि मतदाताओं की भीड़ अन्दर नहीं रहे। पंच–सरपंच चुनाव होने या पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य का चुनाव होने पर मतदान बूथ का मॉडल परिशिष्ट 11 पर बताया गया है।
3. **मतपत्र का अधिप्रमाणनः–** मतपत्र की पीठ पर दॉयीं तरफ सबसे ऊपर सुभिन्नकारी चिन्ह लगाना न भूलें। साथ ही मतपत्र की पीठ पर संबंधित मतदान अधिकारी अर्थात् पंच के लिये मतदान अधिकारी (पंच), सरपंच के लिये मतदान अधिकारी (सरपंच), पंचायत समिति सदस्य के लिये मतदान अधिकारी (पंचायत समिति सदस्य) एवं जिला परिषद् सदस्य के लिये मतदान अधिकारी (जिला परिषद् सदस्य) के पूरे हस्ताक्षर होंगे।
4. **मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं बैठने की व्यवस्थाः–** पंच पद के लिये चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी कोई मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं कर सकते। सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक बूथ के लिये एक–एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। पंच, सरपंच पद के चुनाव में मतदान बूथ पर केवल पंच पद का अभ्यर्थी तथा सरपंच पद का अभ्यर्थी अथवा नियुक्त मतदान अभिकर्ता मतदान बूथ पर बैठ सकता है।

 जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य में भी अभ्यर्थी एक मतदान बूथ पर नियम 69 (1)(परिशिष्ट 4) के अन्तर्गत एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन का अभ्यर्थी एक निर्वाचन अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकता है। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतदान बूथ पर अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता मतदान बूथ पर बैठ अथवा प्रवेश कर सकता है। उपरोक्त अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति नियम 24 (2) (घ) (परिशिष्ट 4) के अन्तर्गत बिना आपकी इजाजत के मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकता है।
5. **मत देने का अधिकारः–** राजस्थान पंचायतीराजअधिनियम, 1994 की धारा 18–ग (परिशिष्ट–3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह वोट देने का हकदार है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक वार्डों में या निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज है तो वह पंचों के चुनाव में केवल एक ही वार्ड से तथा सरपंच चुनाव में केवल एक पंचायत के केवल एक ही वार्ड से, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से अर्थात् प्रत्येक चुनाव में एक–एक बार ही अपना वोट दे सकेगा और यदि किसी भी चुनाव में वह एक से अधिक वोट देता है तो उस चुनाव में उसके सभी वोट निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी जेल या पुलिस अभिरक्षा में है तो वह व्यक्ति वोट नहीं दे सकेगा।

भी अभ्यर्थियों की जानकारी में लाते हुए बाकी मतपेटियों की मतगणना प्रारम्भ कर दें।

(iii.) मतगणना में आपके स्टाफ के अलावा पंच व सरपंच के उम्मीदवार एवं सरपंच के दो गणन अभिकर्ता भी बैठ सकते है। जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 20 या अधिक है तो सरपंच पद के अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 2 से अधिक गणन अभिकर्ताओं की संख्या को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमत किया जा सकेगा। [नियम 70 (1)]।

(iv.) मतगणना स्थल की व मतगणना प्रारम्भ करने के समय की सूचना सभी उम्मीदवारों को पहले से ही दे दी जायें।

(v.) आपके पास मतपत्र रखने हेतु कुछ काउंटिंग ट्रे और कुछ खाली मतपेटियॉ भी होंगी जिनका उपयोग मतगणना में मतपत्र रखने के लिये किया जा सकता है।

(vi.) सबसे पहले एक मतपेटी में से समस्त मतपत्र निकालकर सरंपच व वार्ड पंच के मतपत्र कागज के रंग के अनुसार अलग–अलग कर दें।

(vii.) दूसरी छंटनी में पंच पद के वार्डवार मतपत्र अलग–अलग कर दिये जायें।

(viii.) तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के पंच मतपत्रों व सरपंच मतपत्रों की 50–50 की गड्डी को रबड़ बैन्ड से बांध दिया जाये। प्रत्येक वार्ड में व पंचायत में एक–एक गड्डी ऐसी हो सकती है जिसमें 50 से कम मतपत्र हों। इस प्रकार गड्डियां बनने के बाद उस मतदान बूथ के प्रत्येक वार्ड में डाले गये पंच मतपत्रों की संख्या एवं सरपंच पद के मतपत्रों की संख्या एक कागज पर नोट कर लें।

(ix.) उपरोक्त प्रकार से बिन्दु संख्या (vi) से (viii) में वर्णित प्रक्रिया को दोहराते हुये प्रत्येक मतपेटी के मतों को बाहर निकाल कर गड्डियां बना लेगें एवं प्रत्येक मतपेटी से निकले मत पत्रों की संख्या को कागज पर नोट कर लेगें।

(x.) तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों को मतदान दलों के एक–एक कर्मचारी को गणना हेतु सुपुर्द कर दिया जाए व सरपंच के मतपत्रों की गणना स्वयं करें जिससे कार्य जल्दी समाप्त हो जाय। प्रत्येक मतगणना कर्मचारी एक स्लिप पर प्रत्येक उम्मीदवार तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) को मिले मतों की संख्या अंकित कर हस्ताक्षर कर दें। उस स्लिप पर वार्ड संख्या अवश्य लिखें। इस प्रकार यह कर्मचारी प्रत्येक उम्मीदवार व नोटा के मतपत्रों की रबड़ बैण्ड की सहायता से बनायी गड्डियों को एक पैकेट में बांध कर तथा सबसे ऊपर उपरोक्त स्लिप रख कर आपको दे दें। इस मतगणना में संदेहास्पद (doubtful) मतपत्रों की गड्डी बनाना जरूरी नहीं है। प्रत्येक मतगणना कर्मचारी यदि कहीं आवश्यकता समझे तो विवादास्पद मतपत्र के सम्बन्ध में आपसे तुरन्त निर्णय प्राप्त कर उक्त मतपत्रों को या तो संबंधित उम्मीदवार की गड्डी में सम्मिलित कर दे या खारिज मतपत्रों की गड्डी में रख दे। आप इन खारिज मतपत्रों को पुनः देखकर व संबंधित उम्मीदवारों को बताकर अन्तिम निर्णय कर लें। ऐसे खारिज मतपत्रों पर खारिज करने के कारण की सील लगाकर हस्ताक्षर कर दें। यदि कोई उम्मीदवार ऐसे खारिज मतपत्रों की क्रम संख्या जानना चाहें तो आप उन्हें नोट करा दें।

(xi.) मतगणना के दौरान यदि कोई उम्मीदवार पुनः गणना कराने हेतु आधार बताते हुये आग्रह करें और आप उचित समझें तो पुनः गणना करा दें जिससे उनमें विश्वास पैदा हो जाय। ऐसा करना ज्यादा उपयुक्त उन मामलों में होगा जहां किन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच बहुत ही कम मतों का अन्तर हो।

(xii.) मतगणना पूरी करने के बाद पंच चुनाव के वैद्य मत लिफाफा संख्या P-9 एवं खारिज मत लिफाफा संख्या P-29 में एवं इसी प्रकार सरपंच चुनाव के वैद्य मत लिफाफा

(i) उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गयी विवरणी की एक प्रति पंचायत के कार्यालय को, यदि कोई हो, अग्रेषित करेगा,

(ii) ऐसी एक प्रति पंचायतों के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को और नये निर्वाचित सरपंच को अग्रेषित करेगा,

(iii) निर्वाचन से संबंधित समस्त कागजातों के साथ उसको एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेषित करेगा,

(iv) उस खण्ड की पंचायत समिति को ऐसी एक प्रति जिसके भीतर वह पंचायत सर्किल पड़ता हो, अग्रेषत करेगा,

(v) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर को ऐसी एक प्रति अग्रेषित करेगा।

53– निर्वाचन के कागजात की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना, उनका निरीक्षण और विनाशन में किया जानाः– (1) निर्वाचन से संबंधित सभी कागजात जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा रहेगें।

(2) सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय उपयोग में लिये गये मतपत्रों के पैकेट चाहे वे विधिमान्य हों, निविदत्त या नामंजूर किये हूए हो और मतदान सूची की चिन्हित प्रतिलिपियों को नही खोला जायेंगा और उनकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण या उसे पेश नहीं किया जायेंगा।

(3) आयोग या किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दिये गये किसी भी प्रतिकूल निर्देश के अध्याधीन रहते हुएः–

(क) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के पैंकेट छः मास की कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे और उसके पश्चात् ऐसी रीति से विनष्ट कर दिये जायेंगे जिसका आयोग निर्देश दे;

(ख) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट या कागजात एक वर्ष के लिये प्रतिधारित किये जायेगें और उसके पश्चात् विनष्ट कर दिये जायेंगे;

(ग) निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कागजात ऐसी कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे जिसका आयोग निर्देश दें।

54– पंचों के नामों की अधिसूचना :– नियम 52 के अधीन निर्वाचित सभी पंचों के नाम आयोग द्वारा राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

55– उप–निर्वाचनः– जब कभी किसी पंच का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित हो तो, नियम 25 से 54 तक के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्त को भरने के लिये किये जाने वाले प्रत्येक उप–निर्वाचन पर लागू होंगे।

अध्याय–5 सरपंच का निर्वाचन :–

56. सरपंच और पंचों का साथ–साथ निर्वाचन :– (1) नियम 23 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी साधारण निर्वाचन के प्रत्येक अवसर पर धारा 26 की उप–धारा (1) के अधीन किसी पंचायत के सरपंच का निर्वाचन उसके पंचों के निर्वाचन के साथ–साथ करवाया जायेंगा।

(2) कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन में इतने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा जितने पंचायत में मतदान केन्द्र हैं और जब कभी कोई ऐसी नियुक्ति की जाये, उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में दी जायेगी।

(3) नियम 23 से 54 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथाशक्त ऐसे निर्वाचन पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि सरपंच का नाम निर्देशन–पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 500/– रूपये का और महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 250/– रूपये का प्रतिभूति निक्षेप उसके साथ न हो, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के प्रतिभूति प्रतिदेय होगी जो निर्वाचित नहीं किया

किया गया है। ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन से पूर्व या उसकी अवधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता के मर जाने पर, अभ्यर्थी उप–नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे पंचायत के किसी भी निर्वाचन में निर्वाचित होने से या मतदान करने से, अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित कर दिया गया है, जब तक निरर्हता विद्यमान रहती है, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेंगा।

69. मतदान अभिकर्ता की नियुक्तिः–

(1) किसी निर्वाचन में, जिसमें सरपंच के पद या पंचायत समितियों या जिला परिषद् के सदस्यों के लिये मतदान होना है, कोई भी लडने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान बूथ पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप–9 में दो प्रतियों में लिखित, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो मतदान के लिये नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत दोनों प्रतियों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान बूथ पर किसी भी प्रकार के कर्त्तव्य के पालन के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा तब तक वह इस उपनियम के उपबंधों का पालन न करें।

70. गणन अभिकर्ता की नियुक्तिः–

(1) सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप–10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अधिक गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(2) किसी पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन चाहने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इतने गणन अभिकर्ता अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप–10 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जितनी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना के लिये उपलब्ध करायी गयी टेबिलों की संख्या हो, एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल के लिए और एक अवमुक्ति (Reliever) अभिकर्ता के लिए।

(3) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी प्रदत्त करेगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को उसे रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा हस्ताक्षरित करेगा। ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी गणन अभिकर्ता को मतों की गणना के लिए नियत स्थान पर करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा तब तक उसने इस उप–नियम के उपबंधों का पालन न कर लिया हो।

71. मतदान अभिकर्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरणः–

(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को, अभ्यर्थी द्वारा मतदान के प्रारम्भ के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित किसी लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

(2) ऐसी घोषणा

(क) ऐसे मामले में, जिसमें नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात अन्यून दिन पूर्व प्रतिसंहत न की गई हो तो रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी,